भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3614
सोमवार, 15 जुलाई, 2019/**24** आषाढ़, 1941 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों की आवक

+3614. श्री हंस राज हंसः
श्री प्रतापराव जाधवः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन क्षेत्र में लगातार आ रही गिरावट के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में सतत रूप से बढ़ोतरी नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पर्यटन की सूची वाले स्थानों की अवसंरचना में सुधार हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख) : जी, नहीं। वर्ष 2016, 2017 और 2018 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन क्रमश: 8.80 मिलियन, 10.04 मिलियन और 10.56 मिलियन (अनंतिम) था।

(ग) और (घ) : पर्यटक स्थलों का विकास एवं सवंर्धन करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना के सृजन हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

i. दो फ्लैगशिप योजनाएं : स्वदेश दर्शन-थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास और प्रशाद-तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान का शुभारम्भ। इन योजनाओं के अन्तर्गत विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती हैं और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों का

अनुपालन तथा पूर्व में निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता की शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं।

ii. वर्ष 2018-19 की बजट घोषणाओं के अनुसार, इस मंत्रालय ने देश में 12 समूहों में 17 स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चिह्नित किया है।

iii. "एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का समन्वित प्रयास है जोकि योजनाबद्ध और चरणबद्ध रूप से पर्यटक क्षमता और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने, विरासत स्थलों के विकास और उन्हें पर्यटक हितैषी बनाने की परिकल्पना करता है।

iv. मंत्रालय देश में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है।

****